FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मन्जू वगै0 बनाम तहसीलदार नीमकाथाना वगै0

किस्म मुकदमा दावा (88) RTA 1955 मु0नं0 422 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2023/637

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16-10-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री मुरारी लाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र (88) दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.11.2024 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
	8/11/24 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती का है तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली दिनांक 11/12/24 को पेश हो।	
	11/12/24 पत्रवली पेश हुई। वकुलाय LPO सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/1/25 को पेश हो।	
	13/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/2/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

24-2-2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर मिसल दिनांक 28/4/2025 को पेश हो।

28-5-25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/6/25
को पेश हो।

12/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/25
को पेश हो।

25/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/10/25
को पेश हो।

21/8/25

वकील वादीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताकिब तहसीलदार रिपोर्ट शान्ति देवी पुत्री बंशी ने अपना हिस्सा मन्जू देवी पत्नि मूलचन्द, गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम को बेचान कर दिया था जिसका ना0सं0 88/20.07.13 द्वारा अम[illegible] कर दिया गया था। जिसको शुद्धि पत्र 08/07.06.19 द्वारा शान्ति दे[illegible] हिस्सा पुनः दर्ज कर दिया गया। अतः [illegible] जमाबन्दी के खाता सं0 418 में मन्जू देवी पत्नि मू[illegible] गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम हि0 14/225, शान्ति देवी प[illegible] बंशीधर हि0 7/450 के स्थान पर मन्जू देवी पत्नि मूलचन्द हि0 7/100, गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम हि0 7/100 शुद्ध किया जाना उचित हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि :–

Signature Not V
Digitally signed by R
Yadav
Date: 2025.10.06 16
Reason: SelfAtteste

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम गांवड़ी पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित ख.नं. 1397/1133, 1398/1133, 1399/1133 कुल किता 03 कुल रकबा 9.98 है0 में खातेदार ''मन्जू देवी पत्नि मूलचन्द हि0 14/225, गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम हि0 14/225, शान्ति देवी पत्नि बंशीधर हि0 7/450'' के स्थान पर ''मन्जू देवी पत्नि मूलचन्द हि0 7/100, गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम हि0 7/100'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी मूलचन्द सैनी जाति माली निवासी खादरा वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नं. 422 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर **सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री मुरारी लाल शर्मा** एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम गांवड़ी पटवार **हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित** ख.नं. 1397/1133, 1398/1133, 1399/1133 **कुल किता 03 कुल रकबा 9.98 है0 में खातेदार** "मन्जू देवी पत्नि मूलचन्द हि0 14/225, गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम हि0 14/225, शान्ति देवी पत्नि बंशीधर हि0 7/450" के स्थान पर "मन्जू देवी पत्नि **मूलचन्द हि0 7/100, गुलाबी देवी पत्नि नाथूराम हि0 7/100**" दुरूस्त किया जाता हैं। **उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज....................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 21 माह 08 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत..........
ओहदा...........

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का वाहे किसी को दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:18:11 IST
Reason: SelfAttested